

न्यायालय सभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीतारीन अधिकाशी सौवध मल वगी, आई०ए०ए०)

अपील संख्या 31/12 (अन्तर्गत धारा 75 एल०आर०एक्ट)

1. सुगड सिंह
2. बदन सिंह

। पुत्रान किरोडी जाति जाट निवासी अलीपुर तह. वैर
। जिला भरतपुर

..... अपीलान्टस

बनाम

1. गुडडी पुत्री उदयवीर पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी गाजोली तह. व जिला
मथुरा, उ.प्र. वर्तमान निवास कुरका, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....रैस्योडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार वैर नामान्तरण संख्या 875 दिनांक 23.11.2011 ग्राम
अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

अपील संख्या 32/12 (अन्तर्गत धारा 75 एल०आर०एक्ट)

1. सुगड सिंह
2. बदन सिंह

। पुत्रान किरोडी जाति जाट निवासी अलीपुर तह. वैर
। जिला भरतपुर

..... अपीलान्टस

बनाम

1. गुडडी पुत्री उदयवीर पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी गाजोली तह. व जिला
मथुरा, उ.प्र. वर्तमान निवास कुरका, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....रैस्योडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार वैर नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 23.11.2011 ग्राम
अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

उपस्थिति :-

श्री महाराज सिंह डागुर, एडवोकेट अपीलान्टस

निर्णय

दिनांक 04.07.2022

उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्थान राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत
तहसीलदार वैर द्वारा नामान्तरण संख्या 851 व 875 दिनांक 23.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत
की गई है। दोनों अपीलों में समान पक्षकार एवं समान विवादित बिन्दु होने के कारण इनका
निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

483

4.7.2022
सभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 23.11.2011 व 875 दिनांक 23.11.2011 निरस्त कर प्रकरण दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय करने हेतु अपीलगत प्रकरण को उचित किया जावे।
उपरोक्त दोनों अपील प्रस्तुत होने पर सिमान सम्बन्धी बिन्दु को विशेष ध्यान दिए जाकर अतिरिक्त अपीलधीन निर्णय सम्बन्धी मूल प्रस्ताविका व रैस्पोंडेंट की लडकी और मातहत रैस्पोंडेंट की ओर से कोई भी विवेक ब्योक्तता प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः अपील अधीनस्थ की एक पक्षीय मातहत सुनी गई।

उपरोक्त अपीलान्त में अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए महस में लकी दिया कि विवादित भूमि के खातेदार शेरसिंह की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 05.05.1998 को अपीलान्तस के नाम खोला गया था। जिसे आदेश दिनांक 25.08.1998 द्वारा खारिज किया गया। इसके बाद पुनः नामान्तरण संख्या 875 दिनांक 15.01.1999 को खोला गया। इस नामान्तरण को दिनांक 18.06.1999 को खारिज कर दिया गया। उक्त दोनों नामान्तरण के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अति. जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 28.09.2007 के द्वारा अपीलान्तस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 25.08.1998 व 875 दिनांक 18.06.1999 निरस्त कर तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि मृतक शेरसिंह के विधिक वारिसान की जांच करे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिपेक्ष्य में सभी सम्बन्धित पक्ष को सुनकर उचित आजा पारित करें। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्तस द्वारा अदालत हाजा में अपील पेश की गई। जिसको अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2011 के द्वारा खारिज कर दिये जाने के कारण तहसीलदार वैर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2011 को पारित किया गया। जोकि अति. जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2007 में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय से पूर्व न तो अपीलान्तस को सुनवाई का मौका दिया और न ही भू-राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना ही की गई। बिना जांच व सुनवाई के रैस्पोंडेंट के नाम नामान्तरण गलत रूप से खोला गया। जिस समय उक्त नामान्तरण तस्दीक किये गये हैं उस समय पक्षकारों के मध्य नियमित वाद भी विचाराधीन थे। परन्तु अदालत मातहत में इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया जबकि वाद विचाराधीन होने के दौरान नामान्तरण तस्दीक नहीं किये जाना चाहिए था। रैस्पोंडेंट न तो मृतक खातेदार शेरसिंह की लडकी है और न ही विधिक वारिस है। रैस्पोंडेंट के पिता उदयवीर हैं जोकि उत्तरप्रदेश में निवास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अपीलान्तस द्वारा अदालत मातहत में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे परन्तु इन्हें नजरन्दाज कर अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किये गये हैं जो कि निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2011 व इसकी पालना में खोले गये नामान्तरण संख्या 851 व 875 दिनांक 23.11.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार वैर को भिजवाया जावे।



5.7.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारकी	अपील शशीराम	जानकी राव	महाराज सिंह	श्री दिनेश कुमार
	4 तयवन्ती	सामन्तरी	मुरारी लाल	
			मजुन्द सिंह	


उपरोक्त दोनों अपीलों के सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम अलीपुर के शेर सिंह पुत्र किरौडी की मृत्यु के बाद उसका नामान्तरण उसको निरांतान व पत्नि विहीन करने के कारण अपीलान्टस के हक में पटवारी हल्का द्वारा भरकर पेश किया तथा खाना संख्या 16 में उसकी लड़की होना व पत्नि का खानगन्दाज होना अंकित करते हुए अपीलान्ट जा कि मृतक के भाई है के हक में स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया जिसे तहसीलदार वैर ने कैम्प अलीपुर उक्त नामान्तरण को खारिज कर पुनः वारिसान की जाँच का निर्णय करने हेतु दिनांक 25.08.1998 को आदेश दिया। इस आदेश की अपील अपीलान्टस की ओर से अति. जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष किये जाने पर अपील को स्वीकार कर आदेश दिनांक 28.09.2007 के द्वारा पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 18.11.2011 के द्वारा निरस्त किया गया तथा अति. कलक्टर, भरतपुर के आदेश को बहाल रखा। जिसके द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार वैर को भेजा गया था। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार वैर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण रैस्पोंडेन्ट के पक्ष में स्वीकार किये गये हैं। जो कि विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि उक्त आदेश अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना पारित किये गये हैं। अपील स्तर पर पक्षकारों में मुख्य विवाद यह था कि क्या रैस्पोंडेन्ट मृतक शेरसिंह की पुत्री है। अपीलान्ट ने उसे उदयवीर निवासी जिरौली(मथुरा) की पुत्री होना कहा है तथा सम्बन्धित ग्राम नामान्तरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर इस तथ्य को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अदालत मातहत अपीलान्ट के उपरोक्त विवाद विन्दु के बारे में दोनों पक्षों की साक्ष्य मौखिक व लिखित लेकर ही नामान्तरण तस्दीक करना चाहिए था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की गई। अपीलान्ट ने अदालत मातहत में रैस्पोंडेन्ट के पिता उदयवीर का राशनकार्ड पेश किया है जिसमें रैस्पोंडेन्ट उदयवीर की पुत्री है तथा मृतक खातेदार शेरसिंह की कथित पत्नि बवली रैस्पोंडेन्ट की मां व उदयवीर की पत्नि है। जिससे स्पष्ट है कि रैस्पोंडेन्ट मृतक की पुत्री नहीं थी। लेकिन इस बारे में अदालत मातहत ने कोई जाँच नहीं की। रैस्पोंडेन्ट गुडडी द्वारा सक्षम न्यायालय में मृतक शेरसिंह की आराजी के सम्बन्ध में विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत गुडडी बनाम बदनसिंह आदि प्रकरण संख्या 324/04 प्रस्तुत किया था। जिसे उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा दिनांक 15.10.2009 को खारिज किया गया है। इस प्रकार नियमित वाद में रैस्पोंडेन्ट गुडडी को मृतक शेरसिंह की भूमि में कोई अधिकार नहीं होना माना है। अदालत मातहत द्वारा अति. जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2007 व अदालत हाजा के आदेश दिनांक 18.11.2011 की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर पुनः नामान्तरण करना था। परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की गई। वरन बिना प्रक्रिया अपनाये मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जोकि अपीलान्टस की अनुपस्थिति में दिया गया है। इस आदेश की जानकारी दिनांक 28.02.2012 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। इसपर नकल हेतु आवेदन कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर



48

4.7.20
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलापत्र के विधान अधिभाषक की पुत्र की ओर से प्रस्तुत व उचित तथ्यों के आधार मानकर उक्त निर्णय पारित किया है। तथः न्यायालय के निर्णय उपरान्त अपील पेश करने हेतु पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया जाता। क्योंकि पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत में इस आशय का शपथ पत्र पेश किये गये हैं कि रैस्पोंडेन्ट मृतक शेरसिंह की पुत्र नहीं थी। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2011 में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करते हुए रैस्पोंडेन्ट के ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को आधार मानकर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिये जाने का उल्लेख किया है जबकि अदालत मातहत द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय की प्रति रैस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये जाने पर



गीय आयुक्त
संभाव, भरतपुर

... ..

... ..

... ..

... ..